

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

वाद सं0-02 / 2024

11.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्रीमती सरोज देवी, ग्राम-बिजका, पंचायत-बिजका, प्रखण्ड-भण्डरिया, जिला-गढ़वा, अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग के आदेश का अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण उपलब्ध है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा था कि आयोग को किस परिस्थिति में गुमराह करने की कोशिश की गई। इस संदर्भ में भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को अपने प्रतिवेदन के माध्यम से ये बताया है कि भविष्य में कभी ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आयोग अपने पिछले आदेश का अनुपालन हो जाने के कारण इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)

सदस्य,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।